नियमावली IEDUPVE

(प्रवेश परिक्षाओं का संचालन
और प्रमाण पत्र
और डिप्लोमा का
प्रदान किया जाना)

नियमावली 2020

Scanned by CamScanner

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त का नाम और प्रारम्भ (1) नियमावली IEDUPVE (प्रवेश परिक्षाओं का संचालन और प्रमाण पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) नियमावली 2020 कही जायेगी।

2. परिभाषाये जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस विनियमावली में–

क. "शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष में प्रथम जनवरी को प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष की तीस दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि से है।

ख. प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष का तात्पर्य उस IEDUPVE से है जिसके प्रशासनिक विभाग नियत्रंण के अधीन सम्बद्ध संस्था हो।

ग. समिति का तात्पर्य इस नियमावली के प्रयोजनों के लिये IEDUPVE द्वारा गठित समिति से है।

घ. संयोजक का तात्पर्य बैठको को संयोजित करने के लिये नियुक्त व्यक्ति से है।

ड. सरंक्षक का तात्पर्य किसी अभ्यार्थी के प्रवेश के लिये किसी आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित संरक्षक से है।

च. प्रधानाचार्य का तात्पर्य किसी सम्बद्ध संस्था के प्रधान से है।

छ. व्यक्तिगत अभ्यर्थी का तात्पर्य ऐसे अभ्यार्थी से है जो किसी संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में आपेक्षित उपस्थिति संख्या के बिना प्रवेश चाहता हो।

ज. अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम का तात्पर्य IEDUPVE द्वारा समय समय पर अवधारित अध्ययन के पाठ्यक्रम से है।

झ. सत्रीय अंको का तात्पर्य कक्षा या पाठ्यक्रम के लिये किसी परीक्षा से सम्बन्धित सत्रीय कार्य के लिये आवंटित अंको से है।

ण. अनुसूचि का तात्पर्य इस विनयमावली से सलंग्न अनुसूचि है।

अध्याय–2

3. प्रवेश और परीक्षाये–

क. ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं का संचालन जिन्होंने किसी सम्बद्ध संस्था से डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या अन्य शैक्षिक उपाधियों के लिये विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो तो उसको प्रदान किये जाने के लिए उसे IEDUPVE द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होना पडेगा।

ख. परीक्षा वर्ष में दो बार अर्थात एक बार अप्रैल/मई के महीने में और दूसरी बार अक्टूबर/नवम्बर के महीने में या ऐसे दिनांक को जैसा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित की जाये आयोजित की जायेगी।

1. अर्द्ध वर्ष (समेस्टर) के आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रम मई/जून की परीक्षाये सेमेस्टरो के व्यक्तिगत छात्रों

Scanned by CamScanner

के साथ साथ पहले सेमेस्टरों के नियमित छात्रों के लिये होगी। अक्टूबर/नवम्बर की परीक्षा पुराने सेमेस्टर के बैक पेपरों के व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के साथ साथ द्वितीय सेमेस्टर के नियमित छात्रों के लिये होगी।

ग. परीक्षा ऐसे केन्द्रो पर और ऐसे दिनाकों की और ऐसे समय पर होगी जैसा IEDUPVE समय समय पर विनिश्चत करे।

1. विभिन्न विषयों की परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगे
   (एक) सैद्धान्तिक (थ्यौरी)
   (दो) प्रायोगिक (प्रैक्टिकल)
   (तीन) आवधिक (टर्म/सत्रीय) कार्य
   (चार) मौखिक
   (पांच) परियोजना और उपर्युक्त में से प्रत्येक पृथक शीर्षकों के अधीन या एक साथ जैसा कि IEDUPVE द्वारा पाठ्य विषय और परीक्षा योजना में विदित किया जाये सम्मिलित होंगे।

2. मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन IEDUPVE द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त परीक्षक द्वारा किया जायेगा जैसा परीक्षा समिति समय समय पर विहित करे। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्रों के माध्यम से होगी और प्रश्न पत्र प्रत्येक केन्द्र पर जहां परीक्षा का आयोजन किया जा रहा हो एक साथ दिये जायेंगे।

4 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता

1. IEDUPVE द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में समिमलित होने के लिये किसी सम्बद्ध संस्था द्वारा भेजा गया प्रत्येक अभ्यर्थी प्रति वर्ष विहित दिनांक तक

क. ऐसी परीक्षा के लिये विहित फीस का भुगतान करेगा और

ख. वह उस विषय या उन विषयों का जिसे/जिन्हें वह परीक्षा के लिये वर्तमान योजना के अनुसार जिसके अधीन वह नियमों के अनुसार पात्र है उल्लेख करेगा/करेगी।

2. किसी अभ्यार्थी को किसी परीक्षा के लिये तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक की संस्था का प्रधान IEDUPVE निदेशक को प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे।

क. कि संस्था में उसका प्रवेश IEDUPVE के नियमों और विनियमों के अनुसार है।

ख. कि उसने किसी सम्बद्ध संस्था में पूरी अवधि तक नियमित रूप से पाठ्यक्रम को पूरा किया है।?

ग. कि उसने वास्तव में प्रयोग (एक्सपेरीमेन्ट) किये है और अपने जर्नल परियोजना/डिजाइन आदि को सन्तोषजनक ढंग से पूरा किया है।

ध. कि उसने कक्षा कार्य और नियतकालिक परीक्षाओं अर्थात सत्रीय

Scanned by CamScanner

परीक्षाओं के लिये आवंटित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किये है जैसा कि विनियम के अधीन अपेक्षित है।

ड. कि वह कक्षाओं में उपसिति रहा है जैसा कि **विनियम 5** के अधीन अपेक्षित है

च. कि उसने अपनी सभी सम्पूर्ण शिक्षण फीस देयों और साधित्र, उपस्कर की टूट फूट पुस्तकालय की पुस्तके की क्षति के सम्बन्ध में अन्य बकाया देयों या किसी अन्य प्रकीर्ण फीस या देयों का भुगतान कर दिया है।

छ. कि उसने अपने अध्ययन में संतोषजनक प्रगति दिखाई है और वह अच्छे आचरण और चरित्र का है

ज. कि वह भारत में किसी सरकार या नियत प्राधिकारी या कानून परीक्षा लेने वाले प्राधिकारी IEDUPVE द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने से किसी अवधि के लिये विवर्जित नहीं किया गया है।

3 **उप विनियम (2) के खण्ड क** के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र परीक्षा के लिये भेजे गये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय और उप विनियम 2 के खण्ड ख से ज के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र विनियम–5 के अधीन यथा निहित उपस्थिति की गणना के पश्चात उस शैक्षणिक वर्ष में प्रायोगिक परीक्षा या सैद्धान्तिक परीक्षा जो भी पहले हो के प्रारम्भ होने के विलम्बतम दस दिन पूर्व प्रस्तुत किये जायेंगे।

परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में उन सम्बद्ध संस्थाओं के सम्बन्ध में जो 1200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है जहां शीतकालीन छुट्टियां मनाई जा सकती हो उप विनियिम 2 के खण्ड ख से ज के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र उपस्थिति गिनने के तुरन्त पश्चात लिखित या प्रायोगिक परीक्षा जो भी पहले आयोजित की जाये के प्रारम्भ होने के तीन दिन पूर्व तक भेजा जायेगा।

4. ऐसे मामलों को जहां छात्रों के प्रयोगशाला के प्रैक्टिकल में आवधिक कार्य (टर्म वर्क) सत्रीय कार्य अपूर्ण हो और प्रधानाचार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र दे और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनुमति दे IEDUPVE निदेशक और या सरकार को उस संस्था के विरूद्ध अग्रसर कार्यवाही के लिये सूचित किया जायेगा।

5. ऐसे किसी अभ्यार्थी को जिसे उप विनियम 2 के खण्ड 'ख' से 'ज' के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा न करने के कारण किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति न दी गई हो उस परीक्षा में उपस्थित होने की तब तक अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि वह समस्त शर्तो को फिर से पूरा न कर ले।

6. IEDUPVE द्वारा आवेदन पत्र और फीस स्वीकार कर लेने और अनुक्रमांक (रोल नम्बर) का आवंटन कर देने पर भी परीक्षा में आवेदक के कार्य (परफारमेंस) परिणाम को रद्द कर दिया

Scanned by CamScanner

जायेगा। यदि बाद में यह पाया जाये कि आवेदक उक्त वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश के लिये और उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं या अग्रतर प्रधानाचार्य आवेदक के प्रमाणीकरण के लिये निदेशक/सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

7. आवेदन पत्र को अग्रसारित कर देने परीक्षा फीस का भुगतान कर देने और IEDUPVE द्वारा परीक्षा के लिये अनुक्रमांक का आवंटन कर देने पर भी प्राचार्य उन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र वापस लेने के लिये सक्षम होगा जो सुसंगत विनियमों की किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहते है।

5. **उपस्थिति**

1. कोई सम्बद्ध संस्था विनियम 18 के अधीन परीक्षा और पाठ्योत्तर क्रियाकलापों सहित विहित अवधि के लिये प्रत्येक सत्र के दौरान खुली रहेगी।

2. उप विनियम 2 के उपबन्धो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना डिप्लोमा के किसी सेमेस्टर के किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा के लिये तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक कि अध्ययन के सुसगंत वर्ष में उसकी उपस्थिति प्रत्येक विषय में जिसके अन्तर्गत टयूटोरियल्स प्रयोगशाला कार्य, ड्राइंग आफिस, कर्मशाला या वर्कशाप, क्षेत्रकार्य या स्टूडियो भी है कम से कम 75 प्रतिशत न रही हो परन्तु यह कि

क प्रधानाचार्य यह समाधान हो जाने पर कि अभ्यार्थी बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा था वह पूर्ण रूप से अपने नियत्रंण के बाहर के कारणों से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सका, प्रत्येक विषय में उपस्थिति की कमी को पांच प्रतिशत तक माफ कर सकता है।

ख प्रत्येक मामले में उपस्थिति के प्रतिशत की संगणना उपस्थिति की समस्त अवधि की संख्या को उप विनियम 4 के अधीन वास्तव में उपस्थित होने वाली अवधि की संख्या द्वारा विभाजित करके और इस प्रकार प्राप्त भिन्न को 100 से गुणा करके की जायेगी

3. ऐसी किसी संस्था में जिस पर यह विनियमावली होती है इसके पश्चात यथा उपबंधित रीति से उपस्थिति थी गणना सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से विनियम 12 में विनिर्दिष्ट है शैक्षणिक सत्र 30 नवम्बर/30 अप्रैल तक और जो 1200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय संस्था/क्षेत्र की सम्बद्ध की दशा में जहां शीतकालीन छुट्टियां मनाई जा सकती हो लिखित परीक्षा के प्रारम्भ होने के तीन दिन पूर्व तक भेजा जायेगा। परन्तु किसी सम्बद्ध संस्था जिससे अभ्यार्थी के बाद संबोधित विभागाध्यक्ष की सहमति से IEDUPVE शिक्षा निदेशक के प्राधिकार के अधीन किसी दूसरी संस्था में स्थानान्तरित हो गया हो में किसी कक्षा विशेष में किसी अभ्यार्थी की

Scanned by CamScanner

उपस्थिति की गणना उस संस्था में जिसमें वह बाद में अध्ययन करता रहा हो, उस कक्षा विशेष में उपस्थिति की गणना के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

द्वितीयतः परन्तु ऐसे अभ्यार्थी की जो किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम से भिन्न) प्रथम वर्ष की कक्षा/प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर में पुनरावर्तक के रूप में प्रवेश चाहता है कि उपस्थिति की गणना भी सत्र/सेमेस्टर प्रारम्भ के दिनांक से की जायेगी।

तृतीयतः परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में जिनके रोके गये परिणाम बाद में मुक्त कर दिये जाये उपस्थिति की गणना कक्षा में आने की दिनांक से या उनके रोके गये परिणाम के मुक्त होने की दिनांक से पन्द्रहवें दिन इनमें जो भी पहले हो से मानी जायेगी।

4. किसी अभ्यार्थी की उपस्थिति की गणना केवल उस अवधि के लिये की जायेगी जिसमें वह उपस्थित रहा हो/रही हो परन्तु किसी अभ्यार्थी को किसी सत्र में जिसके दौरान उसने प्रधानाचार्य के आदेश पर अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुये पाठ्योत्तर क्रियाकलाप में भाग लेने के लिये भेजा जाय सात दिन से अधिक अवधि के लिये उपस्थिति की अनुमति दी जायेगी।

परन्तु यदि अवधि सात दिन से अधिक हो तो प्रधानाचार्य द्वारा IEDUPVE निदेशक से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।

परन्तु यह और कि उस अवधि के लिये जिसके दौरान संस्था द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों के लिय कोई शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया जाये कोई उपस्थित अंकित नहीं मानी जायेगी।

5. इस विनियम में किसी बात के होते हुये भी दो विशेष परिस्थितियों में विहित उपस्थिति में कमी को उपविनियम 2 व 3 के उपलब्धों के अनुसार संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दी गयी पांच प्रतिशत तक की माफी दे सकता है।

परन्तु किन्हीं असामान्य परिस्थितियों में ऐसी माफी किसी विशेष संस्था/संस्थाओं को दी जायेगी और निदेशक पहल करेगा और प्राचार्य द्वारा दी गई माफी के अतिरिक्त विहित उपस्थिति की कमी को माफ करने के लिए IEDUPVE बोर्ड से निर्देश लेगा।

6. किसी सम्बद्ध संस्था में प्रवेश

1क. विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमो के सेमेस्टर आधार पर जिसके लिये प्रवेश परीक्षा लेती है प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश को प्रवेश परीक्षा के संचालन के दिनांक के सत्तरहवे दिन तक पूरा कर लिया जायेगा।

ख. उपर्युक्त खण्ड क में विनिर्दिष्ट से भिन्न वार्षिक/सेमेस्टर आधार पर पाठ्यक्रमों के लिये प्रथम वर्ष की कक्षाओ में प्रवेश को प्रतिवर्ष 30 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा।

ग. किसी भी दशा में किसी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश

Scanned by CamScanner

प्रतिवर्ष 31 जनवरी और 31 अगस्त के पश्चात नहीं किया जायेगा।

ध. किसी कक्षा में प्रवेश के लिये न्यूनतम पात्रता को विनियम 7 के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

ड. IEDUPVE के माध्यम से या निदेशक द्वारा विहित किसी अन्य ढंग से किसी भी पाठ्यक्रम के सेमेस्टर में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश ले लेने के पश्चात उसे पुनः उसी ढंग से प्रवेश लेना पडेगा यदि वह उस सत्र/सेमेस्टर में अपना अध्ययन जारी नहीं रखता और उस सत्र/सेमेस्टर में प्रवेश के दिनांक से निरन्तर दो महीने से अधिक समय तक संस्था से गायब रहता है।

2. विनियम 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रवेश सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यो द्वारा किया जायेगा/किये जायेगें किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को जो इस विनियमावली के अधीन विहित अर्हतायें नहीं रखता है IEDUPVE की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी भले ही उसे संस्था में प्रविष्ट कर लिया गया हो।

3. अनुसूचित जाति और अन्य अभ्यर्थियों के लिये सीटें समय समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशो के अनुसार आरक्षित की जायेगी यदि सरकार द्वारा यथा आरक्षित श्रेणियों में उनके सम्बन्धित कोटा से अपेक्षित संख्या में छात्र उपलब्ध न हो तो इस प्रकार रिक्त होने वाली आरक्षित सीटों को अनारक्षित माना जायेगा और उन्हें IEDUPVE की अनुज्ञा से योग्यता के आधार (अर्ह अभ्यर्थियों की सूची से) पर भरा जायेगा।

7. न्यूनतम अर्हता

विभिन्न VE Course के शाखाओं या अन्य पाठ्यक्रमो में किसी भी प्रमाण पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी को IEDUPVE द्वारा समय समय पर यथा विहित न्यूनतम अर्हता निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अधीन होते हुये रखनी होगी। इस समय IEDUPVE द्वारा प्रवेश के लिये विहित न्यूनतम अर्हता अनुसूचि चार में दी गयी है।

1. स्पष्टीकरण

क. किसी अभ्यार्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद भारत के सभी राज्य की इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये अनुज्ञात अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य बनने के प्रयोजनार्थ इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाये गये और समय समय पर यथा संशोधित नियमों के अधीन समतुल्य घोषित परीक्षा लेने वाले किसी निकाय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यार्थी को प्रवेश के प्रयोजन के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद भारत के सभी राज्यों परीक्षा के समतुल्य समझा जायेगा

माध्यमिक परिषदों के इण्टरमीडिएट प्रक्रमो पर किसी अन्य परीक्षा को भले

Scanned by CamScanner

ही उक्त अधिनियम के अधीन माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए IEDUPVE को निर्देश करने की आवश्यकता होगी।

ख. किसी अभ्यार्थी द्वारा किसी परिषद से 10+2 परीक्षा की बारहवी कक्षा उत्तीर्ण कर लिये जाने और 10+2 योजना की बारहवी कक्षा को समय समय पर यथा संशोधित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन समकक्ष मान्यता प्रदान किये जाने पर उसे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजन के लिये समकक्ष समझा जायेगा।

2. किसी तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के भौतिक शस्त्र रसायनशास्त्र और गणित के साथ बी0एस0सी0 भाग एक परीक्षा को यदि वह एक सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक एग्जामिनेशन) है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य माना जायेगा।

3. कृपांक जो किसी अभ्यार्थी को परीक्षा लेने वाले किसी विशेष निकाय के नियमों के अधीन उत्तीर्ण होने के लिये उसे पात्र बनाने के लिए विषय (विषयों) या सम्पूर्ण योग में दिये जाये सम्पूर्ण योग में या प्रवेश के लिये सम्पूर्ण अंको के प्रतिशत की गणना करने में जोड़े नहीं जायेंगे।

क. भौतिक शास्त्र रसायनशास्त्र और गणित के साथ माध्यमिक परीक्षा के पश्चात पूर्व अभियन्त्रण परीक्षा को यदि वह सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक एग्जामिनेशन) हो, भौतिक शास्त्र रसायनशास्त्र और गणित के साथ इण्टरमीडिएट के बराबर समझा जाएगा।

ख. सभी विषयों से 10+2 उत्तीर्ण छात्रा छात्राएँ प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

4. ऐसा अभ्यार्थी भी, जिसने अर्हकारी परीक्षा में विज्ञान या गणित या दोनों नहीं लिया है किन्तु यथा विहित अपेक्षित विषयों को लेकर उसी उच्चतर परीक्षा को उत्तीर्ण किया है प्रवेश के लिये पात्र होगा।

5. ऐसे अभ्यार्थी के सम्बन्ध में जिसने पूरक (कम्पार्टमेन्ट) अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी या उच्चतर परीक्षा उन्हीं विषयों को लेकर जैसा विहित है उत्तीर्ण की है अंकों के प्रतिशत की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी

अनुपूरक परीक्षा में ऐसे अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों में उस विषय में जिसमें उसे अनुपूरक परीक्षा के लिये पात्र घोषित किया गया था प्राप्त अंकों को निकालने के पश्चात जोड दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त योग पर प्रतिशत निकालने के लिये विचार किया जायेगा।

6. IEDUPVE के अधीन किन्हीं पाठ्यक्रमों के लिये अपेक्षित न्यूनतम पात्र शैक्षिक अर्हता का सबूत सम्बन्धित सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य को किसी अभ्यार्थी द्वारा प्रवेश चाहने के लिये संस्था विहित अन्तिम दिनांक (दिनाकों) के पश्चात

Scanned by CamScanner

नहीं और किसी भी दशा में प्रति वर्ष के 31 जनवरी और 31 अगस्त के पश्चात नहीं प्रस्तुत किया जायेगा।

8. **प्रवेश के आयु सीमा**

न्यूनतम अर्हता

1. माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र और अंशकालिक पाठ्यक्रम से भिन्न समस्त डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिये अभ्यर्थी की आयु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले के सिवाय जिनके मामले में उच्चतर आयु सीमा तीन वर्ष से शिथिलनीय होगी प्रवेश के कैलेण्डर वर्ष के 30 दिसम्बर को इसे सम्मिलित करके 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो उद्योग द्वारा प्रयोजित हो और नियमित पाठ्यक्रमो में प्रवेश चाहते हो उच्चतर आयु सीमा बिना किसी सीमा के परीक्षा समिति द्वारा अग्रतर शिथिलनीय होगी। ऐसे मामलों को अभ्यार्थी से प्राप्त समर्थनकारी साक्ष्य के साथ अपनी संस्तुती सहित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसरित किया जाएगा।

2. अभ्यर्थी के लिए कोई उच्चतर आयु सीमा नहीं होगी।

3. अभ्यर्थी को विहित अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

9. **स्वीकृत सीटे**

1. प्रत्येक कक्षा/सेमेस्टर और पाठ्यक्रम में सीटो की संख्या IEDUPVE द्वारा निर्धारित की जाएगी।

2. प्रथम वर्ष की कक्षा/प्रथम सेमेस्टर में स्वीकृत सीटों को किसी विशेष पाठ्यक्रम में रिपीटरों को स्थान देने के लिए दस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है नया प्रवेश ऐसी सीमा तक प्रतिबन्धित होगा जिससे कि उन रिपीटरो को स्थान मिल जाये जो प्रवेश चाहते हो और इस प्रयोजन के लिए पात्र हो।

परन्तु निदेशक सीटों में ऐसी बढ़ोत्तरी के लिए आदेश दे सकता है जैसा किसी प्रवेश को नियमित करने के लिए आवश्यक पाया जाये और उसको सूचना एक सप्ताह के भीतर IEDUPVE को भेजी जायेगी।

3 द्वितीय कक्षा/प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर के मामले में स्वीकृत सीटो में किसी वृद्धि की अनुज्ञा दी जायेगी।

परन्तु कक्षा/सेमेस्टर के ऐसे समस्त रिपीटरों को जो इस विनियमावली के अधीन पुनः प्रवेश के लिए पात्र हो और निचली कक्षा से पदोन्नत छात्र को एक सीट दी जाएगी भले ही वह स्वीकृत सीटो की संख्या से अधिक हो जाये।

4. ऐसी सीटो को जो कोलम्बो योजना या अन्य तत् सदृश्य सहायता मिशनों के अधीन भारत सरकार के नामितो के लिए अपेक्षित हो, उपविनियम (2) और (3) के अधीन नहीं गिना जायेगा और व उसमें विहित सीमा से ऊपर और अधिक होंगे।

Scanned by CamScanner

5. किसी संस्था में पाठ्यक्रमो के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकतम संख्या 480 सीटो से अधिक या विशेष पाठ्यक्रम में जिसमें प्रवेश किया (किये) जाने हो को लेकर कुल इनटेक के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी फिर भी ड्राप आउट मामलों को ध्यान में रखते हुये दस प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य है।

परन्तु पाठ्यक्रमो के किसी शाखा में प्रवेश किये गये अभ्यर्थियों की संख्या उस विशेष शाखा में नियमित पाठ्यक्रमो के लिए स्वीकृत इनटेक से अधिक नहीं होगी। यदि उस विशेष शाखा में नियमित पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत इनटेक 480 से कम है।

6. समस्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश नियम 6 के अधीन सर्वथा विहित आधार पर की जायेगी और समय समय पर विभिन्न श्रेणियों के लिये सीटों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उनबन्धों के अधीन होगा। इस समय विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण अनुसूचि पांच के अनुसार होगा।

10. माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

कक्षोन्नति–

1. माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रथम से द्वितीय में कक्षोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा की जाएगी और उसकी घोषणा की जाएगी।

क. किसी अभ्यार्थी को प्रथम और द्वितीय समेस्टर की परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि उसने 75 प्रतिशत उपस्थित प्राप्त न करली हो।

परन्तु प्रधानाचार्य वास्तविक आधार पर जहां की उसका समाधान हो जाये 5 प्रतिशत तक माफ कर सकता है।

परन्तु यह और कि उपस्थिति की गणना सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से लिखित परीक्षा के दिनांक के तीन सप्ताह पूर्व के दिनांक तक की जाएगी।

ख. अंग्रेजी भाषा को छोड़कर समस्त भाषाओं में परीक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी में होगा।

ग. किसी अभ्यार्थी को प्रथम समेस्टर या द्वितीय समेस्टर को परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह :–

2. समूह क के प्रत्येक विषय में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता

3. समूह ख में प्रत्येक लिखित विषय (जिसमें सेशनल भी सम्मिलत है) में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त न कर ले

4. समूह ख में प्रत्येक प्रायोगिक (जिसमें सेशनल भी सम्मिलत है) में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त न कर ले

क. IEDUPVE निदेशक उत्तर प्रदेश ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे सुपात्र मामलों में उपर्युक्त किन्हीं शर्तों को शिथिल कर सकता है और उनकी सूचना एक सप्ताह के भीतर बोर्ड को भेज दी जायेगी।

ख. प्रथम समेस्टर के छात्रों को पदोन्नति के संबंध में IEDUPVE के निदेशक के विनिश्चय की घोषणा प्रतिवर्ष विलम्बतम

Scanned by CamScanner

जून के अन्त तक की जाएगी और उपखण्ड 'घ' के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगी।

11. बैक पेपर

1. ऐसे अभ्यार्थी को भी यदि वह खण्ड 1 में दिये गये विषयों से अधिक विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो उसे बैक पेपर से सम्बद्ध रखने की अनुज्ञा दी जायेगी और अगले कक्षा/समेस्टर में पदोन्नति किया जायेगा परन्तु यह कि
2. कि उसने कुल 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो और सेशनल कार्य में उत्तीर्ण रहा हो।
3. प्रथम वर्ष के ए0आई0आर0आर0 (जिन्हें सम्बन्ध रखने की अनुज्ञा दी गई हो) अभ्यर्थियों को अगले उच्चतर कक्षा में पदोन्नति किया जायेगा और उसे अगले उच्चतर कक्षा की सम्पूर्ण परीक्षा के साथ साथ बैक पेपर में आगामी वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए फिर भी प्रथम वर्ष की कक्षा के मामले में बैक पेपर के लिए पात्र घोषित अभ्यार्थी IEDUPVE द्वारा संचालित होने वाले आगामी परीक्षा में उपस्थित होंगे और जब तक कि वे ऐसे बैक पेपर में स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण नहीं होते तब तक उन्हें डिप्लोमा नहीं दिया जायेगा।
4. किसी कक्षा/समेस्टर में बैक पेपरों की संख्या बैक पेपरों की सीमा से अधिक नहीं होगी।
5. ऐसे अभ्यर्थियों को जो बैक पेपर को क्लीयर करने के पश्चात अपनी अन्तिम समेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण होते है मूल वार्षिक परीक्षा के जिसमें वे उपस्थित हुये और बैक पेपरों के लिए पात्र घोषित किये गये थे के योग के आधार पर श्रेणी दि जायेगी उनके डिप्लोमा में विनियम 11 के अधीन शब्द लिखे जायेगे।

स्पष्टकीरणः— जब कोई अभ्यार्थी पूर्ववर्ती निचले समेस्टर के बैक पेपर में के साथ अगली उच्चतर कक्षा के आगामी समेस्टर परीक्षा में उपस्थित होता है तब

क. उससे बैक पेपर में जिसमें वह सम्बन्धित लिखित/व्यवहारिक के लिए विहित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करता है, पुनः उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी भले ही वह अगली उच्चतर कक्षा की आगामी परीक्षा में असफल हो जाये।

ख. उसने बैक पेपर इस विनियम के उपबन्धों के लिए एक अपेक्षा के रूप में समझा जायेगा/जायेंगे अर्थात अपेक्षाओं की संख्या जिसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती निचली कक्षा के बैक पेपर और सम्पूर्ण लिखित पेपर और अगली उच्चतर कक्षा के प्रैक्टिकल भी है उपर्युक्त उप विनियम 1 में दी गयी संख्या से अधिक नहीं होंगे।

ग. ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होने पूर्ण परीक्षा के लिए विकल्प किया है और विकल्प का प्रयोग किया है पुनः विकल्प देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसी रीति से गुजरना पड़ेगा।

12 नीचे दी गयी शर्तो के अधीन रहते हुये यथास्थिति द्वितीय समेस्टर का छात्र

1. एक सम्बद्ध संस्था से ऐसी दूसरी सम्बद्ध संस्था में जो अध्ययन के उसी पाठ्यक्रम में शिक्षा देती हो जिसमें ऐसा छात्र पूर्ववर्ती संस्था में पढ़ रहा था स्थानान्तरण की मांग कर सकता है।

क. ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जिनके परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये गये हो IEDUPVE केवल योग्यता के आधार पर संस्था के स्थानान्तरण का विनिश्चय करेगी। यह लाभ केवल उस वर्ष में दिया

Scanned by CamScanner

जायेगा जिसमें अभ्यार्थी को प्रवेश के लिए घोषित किया गया है।

ख. ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें व्यक्तिगत संस्था के स्तर पर योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाये साधारणतया स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में प्रत्येक विषय में छात्र द्वारा उपस्थिति और उसमें उसके द्वारा संस्था छोड़ने के दिनांक तक प्राप्त लिखित व्यवहारिक और सेशनल अंक होंगे।

3. ऐसी संस्था जिसमें छात्र स्थानान्तरण चाहता है, प्रधानाचार्य उस संस्था के प्रधानाचार्य से जिससे छात्र का स्थानान्तरण किया जाये स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की एक सत्य प्रति प्राप्त करेगा और बाद में उसे यथा सम्भव शीघ्र किन्तु स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के जारी किये जाने के पन्द्रहवे दिन के बाद नहीं भेजेगा।

4. विनियम के अधीन छात्रों की स्थानान्तरण की अनुज्ञा देने वाले प्राधिकारी भी ऐसी अनुज्ञा के प्रति IEDUPVE के निर्देश को भेजेगा।

13. **सत्र 1 IEDUPVE से सम्बद्ध सभागारों में सत्र निम्नलिखित प्रकार से होंगे।**

क. सेमेस्टर आधार पर चलाने वाले पाठ्यमों के लिये

1. प्रथम समेस्टर चलाने के लिए कलेण्डर वर्ष को 30 जुलाई तक

2. द्वितीय समेस्टर के लिये

प्रथम समेस्टर की परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात ग्यारहवा दिन से या प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त से प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक समेस्टर में किसी संस्था से प्रशिक्षण के बारह सप्ताह पूरा करना अपेक्षित है।

3. प्रशासनिक विभाग यदि अपेक्षित हो प्रशिक्षण को पहले ही पूरा करने के लिए छुट्टी/दीर्घावकाश के दिनों संस्था को खोले रह कर प्रशिक्षण के आवश्यक सप्ताहों को परीक्षा के प्रारम्भ के सात दिन पूर्व तक पूरा कर सकता है।

परन्तु प्रत्येक सत्र और समेस्टर में परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रो से कम से कम सात दिन दिया जायेगा।

परन्तु यह और कि एक दिन में प्रशिक्षण की नियमित अवधियों और पाठ्योत्तर गतिविधियों के उपरान्त आवंटित शुन्य घंटों की अवधियों की संगणना यदि अपेक्षित हो और यदि सम्भव हो प्रशिक्षण के अपेक्षित सप्ताहों के पूरा होने की अपेक्षा के प्रति की जायेगी। ऐसे मामलो में संस्था का प्रधानाचार्य निदेशक की अनुज्ञा माँगेगा और ऐसे अनुज्ञा यदि दी गई तो उसकी प्रति की सूचना IEDUPVE को भी दी जायेगी।

4. साधारणतया किसी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष की कक्षा समेस्टर में कोई शिक्षा सत्र के प्रारम्भ के पश्चात नहीं दिया जायेगा। फिर भी आपवादिक मामलों में इसे प्रवेश परीक्षा सम्पूर्ण भारत वर्ष द्वारा परिणामों की घोषणा के या विनियम 6 के अनुसार किसी संस्था द्वारा घोषित यथास्थिति प्रवेश परीक्षा या योग्यतासूची की घोषणा के पैतालिसवें दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

ख. ऐसा कोई अभ्यर्थी जो अनुत्तीर्ण हो और अन्यथा प्रथम वर्ष की कक्षा/समेस्टर में पुनः प्रवेश के लिये पात्र है अपने सीट के लिये कोई दावा नहीं कर सकेगा जब तक की वह स्वयं या लिखित रूप में पिछले वर्ष उपस्थित हुए सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य को सत्र के प्रारम्भ के पूर्व रिपोर्ट न करे और नियमित छात्रों के प्रवेश के लिए विहित अन्तिम दिनांक तक विहित फीस

Scanned by CamScanner

जमा न कर दे।

1. समस्त समेस्टर कक्षाओं के छात्र उपर्युक्त उपविनियम 3 के खण्ड ख के अनुसार संचालित परीक्षा के पूरा होने के पश्चात अगली उच्चतर कक्षा/समेस्टर में कक्षोन्नति किये जायेंगे और अगली उच्चतर कक्षा/समेस्टर में कक्षोन्नति किये जायेंगे और अगले उच्चतर कक्षा के लिये उनकी उपस्थिति की गणना उस सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से की जायेगी जिसकी अनुसूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

14. **सेशनल अंक –**

सेशनल कार्य जो विनियम 4 के अनुसार प्रशिक्षण के लिए पूर्वाक्षेप है इसके अंक इस विनयमावली में दी गयी किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिये जायेंगे और IEDUPVE को ऐसी रीति से जैसी IEDUPVE समय समय पर विहित करे, संसूचित किये जायेंगे।

1. सेशनल अंक ऐसे विषयों लिखित या व्यवहारिकों को आवंटित कुल अंकों में से पृथक विषय लिखित या व्यवहारिक या परियोजन में दिये जायेंगे और IEDUPVE को संसूचित किये जायेंगे।

परन्तु यह और कि सेशनल अंक वास्तविक कक्षा कार्य और उपस्थिति जो उस कक्षा के पाठ्यमों के पाठ्यचर्या की पूर्वपेक्षा है, के आधार पर विनियम 4 व 5 और अन्य सुसंगत विनियमों के अधीन किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए दिये जा रहे है ऐसे अभ्यार्थी को बिना टर्म वर्क किये और उस कक्षा के पृथक विषयों में सेशनल में उत्तीर्ण हुये बिना कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।

2. ऐसा अभ्यार्थी जो किसी विषय लिखित व्यवहारिक या परियोजना को आवंटित सेशनल अंकों का कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त करने में असफल रहता है को IEDUPVE की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी– अभ्यर्थियों के अभिभावकों को सेशनल कार्य में अपने वार्डो की प्रगति को अभिनिश्चत करने के लिए सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य से सम्पर्क बनाये रखने की सलाह दी जाती है। किसी छात्र या अभिभावक को उपनियम–3 के अधीन इस आधार पर देने या रोकने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि सम्बन्धित सत्र या अभिभावक को कोई संसूचना नहीं दी गयी।

3. सेशनल अंक IEDUPVE द्वारा संचालित किसी परीक्षा में किसी विषय में प्राप्त अंकों में नहीं जोड़े जायेंगे किन्तु सीधे महायोग या योग के जोड जायेगे और उन पर डिवीजन के लिए विचार किया जायेगा।

परन्तु विनियम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र पर लागु नहीं होगा।

4. सेशनल अंकों की संसूचना IEDUPVE को पूर्ण सख्याओं में दी जायेगी जबकि किसी अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त सेशनल अंकों में भिन्नांक है तो उन्हें अगले उच्चतर संख्या में पूर्णांकित किया जायेगा जैसा 10–1/2 को 1 कर दिया जायेगा।

5. 50 प्रतिशत पर आधारित सेशनल कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णांक का अवधारण करने के लिए भिन्नांक यदि कोई हो अंक को पूर्ववर्ती पूर्णांक तक कम करके छोड दिया जायेगा जैसे 12–1/2 को 12 कर दिया जायेगा जहां अधिकतम 25 हो।

15 **कृपाकं**

1. कृपांक आगे दी गई शर्तो के अधीन रहते हुए किसी अभ्यार्थी को दिये जा सकते है प्रतिबन्ध यह है कि उसे ऐसा अंक देने में

Scanned by CamScanner

वह परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य हो।

2. एक से अधिक विषयों में कृपांक नहीं दिये जायगें।

अवधेय सीमा– प्रत्येक विषय में कृपांक उस विषय के जिसमें कृपांक दिये जाये अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक अंक नहीं होंगे

3. कोई कृपांक विशेष बैक परीक्षा में नहीं दिये जायेंगे।

4. इस प्रकार दिये गये कृपांक का तात्पर्य संबंधित अंकों में कमी को क्षमा करना है और वास्तव में प्राप्त अंकों या उसके योग के परिवर्तन करने के लिए नहीं। इस प्रकार ये डिवीजन/आनर्स की गणना करने के लिये नहीं जोडे जायेंगे।

5. किसी अभ्यर्थी की योग्यताक्रम ऐसे कृपांक के देने से प्रभावित नहीं होगा।

16 **परीक्षा परिणाम**

अभ्यर्थी द्वारा दावा न किया गया डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राचार्य द्वारा IEDUPVE को वापस कर दिया जायेगा।

परन्तु संबंधित संस्था का प्राचार्य संस्था के अभिलेख में उपलब्ध स्थायी पते पर अभ्यर्थी अभ्यर्थियों के संसूचित करने का आवश्यक और वास्तविक प्रयास करेगा

1. प्राचार्य द्वारा IEDUPVE को वापस किया गया दावा न किया गया डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अभ्यार्थी द्वारा और विहित फीस के भुगतान पर और IEDUPVE द्वारा विहित रीति से प्राप्त किया जा सकेगा।

2. डिप्लोमा या प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर विहित फीस का भुगतान करने पर और IEDUPVE द्वारा विहित रीति से प्राप्त किया जा सकता है :

क. खो जाने या नष्ट हो जाने वाले डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के मामले में,

ख. ऐसे डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के मामलों में जो गन्दे हो गये हों या विरूपित या कटे फटे हो गया हो और जब्त कर लिये जाने के कारण IEDUPVE को अभ्यर्पित कर दिया गया होगा।

ग. ऐसे डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के मामले में जिसकी प्रविष्टियां धुंधली हो गयी हो किन्तु जो अन्यथा अक्षुण्ण हो और रद्द करने के लिये IEDUPVE को अभ्यर्पित कर दिया जाये।

16 **अनुचित साधनों का प्रयोग और अनुशासनिक कार्यवाही**

1. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाये तो निरीक्षक (इनविजिलेटर) केन्द्र के अधीक्षक को ऐसे मामले की रिपोर्ट करेगा। लिखित स्पष्टीकरण विहित आरोप पत्र पर ऐसे परीक्षार्थी से प्राप्त किया जायेगा और केन्द्र का अधीक्षक समस्त संबंधित पत्रादि को जिसके अन्तर्गत उत्तर पुस्तिका और सामग्री (सामग्रियों) भी हैं अपने कब्जे में रखेगा किन्तु उसको एक नयी उत्तर पुस्तिका देने के पश्चात बाकी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये उसे अनुज्ञा देगा। केन्द्र का अधीक्षक तत्पश्चात् तुरन्त साक्ष्य के पूरे ब्योरे के साथ और IEDUPVE के अनुदेश के साथ निदेशक को मामले की रिपोर्ट करेगा जो उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये परीक्षा समिति के समक्ष रखेगा।

2. यदि कोई अभ्यार्थी लिखित स्पष्टीकरण

Scanned by CamScanner

देने से इन्कार करता है तो उसके इन्कार किये जाने का तथ्य अधीक्षक द्वारा अभिलिखित किया जायेगा, जो घटना के समय डयूटी पर अंतिम दो इनविजिलेटरों द्वारा साक्षित होगा।

3. यदि कोई अभ्यार्थी परीक्षा कक्ष/हाल के अन्दर या बाहर परीक्षा अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करता हुआ पाया जाये तो अधीक्षक दोनों अभ्यर्थियों और इनविजिलेटर के कथन को अभिलिखित करेगा और उसे अपनी टीका टिप्पणी के साथ IEDUPVE के निदेशक को भेजेगा।

4. अपने कपड़े, शरीर, मेज या टेवल या यन्त्र जैसे लाइन रूल, सेट स्क्वायर्स, प्रोटैक्टर्स या स्केलों आदि के किसी भाग पर लिखित नोटों से नकल करते हुए अभ्यर्थी को जो अपने पास पाये गये किसी नोट या कागज को निगल जाने या नष्ट करने का दोषी हो या किसी व्यक्ति से बात चीत करता हो या परीक्षा हाल के बाहर मूत्रालय/एम0सी को आते समय या जाते समय नोटों या पुस्तिकाओं से कन्सल्ट कर रहा हो, अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ समझा जायेगा और खण्ड 'घ' में यथा प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

5. यदि कोई अभ्यार्थी परीक्षा हाल छोड़ने के पूर्व परिवेक्षीय स्टाफ को उत्तर पुस्तिका देने में असफल रहता है तो अधीक्षक पूर्ण साक्ष्य के साथ मामले की रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में करेगा और एक पृथक मोहरबन्द आवरण में IEDUPVE के निदेशक को एक रिपोर्ट भी भेजी जायेगी।

6. यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जायेगा जिसके अन्तर्गत ऐसा अभ्यार्थी भी है जो –

क. परीक्षा के प्रारम्भ के पूर्व या उसके दौरान सोख्ते पर/मेज/ड्राइंग उपकरण/डेस्क स्लिप/एडमीशन कार्ड/ कागज के किसी अन्य टुकड़े / प्रश्नपत्र पर पेपर में दिये गये प्रश्न के किसी हल को पूर्ण रूप से लिखता है, या

ख. परीक्षा की अवधि के दौरान पेपर में दिये गये प्रश्न या प्रश्नों की एक प्रति या कोई हल/उसके पूर्ण या अपूर्ण उत्तर की एक प्रति किसी अन्य व्यक्ति को पास करने का दोषी पाया जाये, या

ग. स्टाफ के किसी सदस्य या किसी बाहरी अभिकरण के मौनानुकूलता के माध्यम से पूर्ण या अपूर्ण हल के कब्जे में पाया जाये, या

घ. किसी उत्तर पुस्तिका/कन्टीनुवेशन सीट को बाहर ले आकर या बाहर भेजने का प्रबन्ध कर या बाहर भेज कर स्मगलिंग करने का दोषी पाया जाये, या

ङ. अपमानजनक या अश्लील भाषा प्रयोग करने या परीक्षक को लिखित रूप से या किसी साधन द्वारा प्रभावित करने का दोषी पाया जाये,

च. किसी प्रकार का अप्राधिकृत पर्चा/नोट बुक या किसी अन्य सामग्री को जो उसके जेब में हो या उसके पास हो या डेस्क सीट के अन्दर या बाहर हो, अधिकार में रखने का दोषी पाया जाये तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग समझा जायेगा और ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र का अधीषक उप–विनियम 1. के अनुसार कार्यवाही

Scanned by CamScanner

करेगा।

छ. उप–विनियम 2 से 5 और ऊपर दिये गये खण्ड 'क' से 'च' के अन्तर्गत न आने वाले अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी पाया जाये।

7. किसी परीक्षक को यह पता लगे कि किसी अभ्यार्थी ने परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया है तो वह इस मामले की रिपोर्ट निदेशक को तुरन्त करेगा जो उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये परीक्षा समिति के समक्ष रखेगा।

8 जहां निदेशक को किसी अभ्याथी के विरूद्ध कोई रिपोर्ट प्राप्त हो या उप–विनियम 1 और 6 में निर्दिष्ट स्रोत से भिन्न किसी स्रोत से उसके द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग के संबंध में अनुदेश प्राप्त हो तो सचिव उस संस्था के ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए विशेषज्ञों की सवींक्षा समिति यदि नियुक्त की गई हो, की रिपोर्ट के साथ मामले को आवश्यक कार्यवाही के लिये परीक्षा समिति के समक्ष रखेगा।

9. प्रतिरूपण से बचने के लिए, बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले नियमित और व्यक्तिगत सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि उनके पास प्रवेश–पत्र हो और उनका अपना पहचान–पत्र हो जिस पर पास–पोर्ट आकार का चित्र चिपका हो और जिस संस्था से वह संबंधित है उसके प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो।

10. प्रतिरूपण के सभी मामलों को उस प्रमाण के साथ, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अधीक्षक द्वारा स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट किया जयेगा और मामले को बोर्ड के निदेशक को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

11. किसी अभ्यर्थी को, जो परीक्षा केन्द्र/कक्ष के अधीक्षक/निरीक्षक की आज्ञा पालन करने से मना करता है और किसी अन्य अभ्यर्थी से अपना स्थान बदलता है और या जानबूझकर किसी अन्य अभ्यार्थी का अनुक्रमांक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है और/या अन्यथा परीक्षा हाल में दुर्व्यवहार करता है, अधीक्षक द्वारा परीक्षा हाल से बाहर कर दिया जायेगा और पूर्ण अभिलिखित कारणों के साथ रिपोर्ट सहित उसकी उत्तर पुस्तिका को पृथकतः निदेशक को भेजा जायेगा। यदि अभ्यर्थी परीक्षा संचालन में बाधा करना जारी रखे तो सचिव स्वयं पर प्रत्योजित मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा और तद्नुसार कार्यवाही करेगा।

12. किसी अभ्यार्थी ने अनुशासहीनता का कार्य किया है जिसके अन्तर्गत केन्द्र अधीक्षक और/या निरीक्षक या परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी कर्मचारी पर ऐसी परीक्षा/ऐसी परीक्षा के परीक्षाफल की घोषणा के प्रारम्भ से पूर्व और समाप्ति से ठीक दो मास की अवधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का शारीरिक आक्रमण भी है, को अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 1 और 2 के अधीन अपराध समझा जायेगा। उचित और पूर्ण प्रमाण के साथ मामले को निदेशक को रिपोर्ट किया जायेगा और तत्पश्चात् मामले (मामलों) को परीक्षा समिति के समक्ष रखा जायेगा।

13. उपर्युक्त सभी मामलों में और उन मामलों

Scanned by CamScanner

में जहां किसी परीक्षार्थी ने किसी तथ्य को छिपाया है या अपने आवेदन पत्र में मिथ्या विवरण देता है या परीक्षा में अनुचित प्रवेश पाने के लिये नियमों का उल्लंघन किया है या परीक्षा में धोखा (जिसके अन्तर्गत प्रतिरूपण भी है) किया है या नैतिक अपराध अनुशासहीनता का दोषी है, वहां परीक्षा समिति उस मामले में दिए जाने वाले दण्ड को निर्धारित करेगी और परीक्षा समिति का विनिश्चय अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 ओर और उपधारा 1–क के खण्ड एक के उपखण्ड) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

समिति आदेश दे सकती है जो निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकती है :

क. उत्तीर्ण परीक्षा के डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र को वापस लेना

ख. परीक्षा का निरस्तीकरण,

ग. भावी परीक्षा से निष्कासन,

घ. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को वापस लेना या पश्चातवर्ती परीक्षा का निरस्तीकरण या उससे निष्कासन जिसके अन्तर्गत बोर्ड की उच्चतर परीक्षा भी है।

ण. विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा के प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों में से 40 प्रतिशत तक कटौती करना।

14. परीक्षा समिति/परीक्षाफल समिति जांच होने तक ऐसे मामलों में, जहां अनुचित साधन का प्रयोग किया गया है या प्रयास किया गया है या प्रयोग किए जाने या प्रयास किए जाने का संदेह है ऐसे अभ्यार्थी के परीक्षाफल को रोक सकती है।

15. यदि परीक्षा/परीक्षाफल समिति की राय में अभ्यर्थी को अनुचित साधन का प्रयोग किया हुआ पाया जाये या अनुचित साधन प्रयोग करने का संदेह हो, चाहे केन्द्र अधीक्षक/परीक्षा द्वारा रिपोर्ट की गई हो या नहीं या किसी तथ्य को छिपाया है या किसी परीक्षा में अनुचित प्रवेश पाने के लिए अपने आवेदन–प्रपत्रों या नियमों में मिथ्या विवरण दिया है या परीक्षा में धोखा (जिसके अन्तर्गत प्रतिरूपण भी है) किया है/था या नैतिक अपराध या अनुशासनहीनता का दोषी है/था परीक्षा/परीक्षाफल समिति जांच होने तक उसका परीक्षाफल रोक सकती है और ऊपर उल्लिखित दण्डों में से एक या अधिक दण्ड दे सकती है।

16. दण्ड की अवधि के दौरान ऐसे अभ्यर्थी किसी भी संस्था/परीक्षा में निम्न/उच्च सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

17. यदि कोई अभ्यार्थी परीक्षा समिति के विनिश्चय के विरूद्ध विधि न्यायालय में अपील करना चाहता है तो वह परीक्षा समिति के विनिश्चय के दिनांक से 30 दिन के भीतर लखनऊ की अधिकारिता के अधीन रहते हुए ऐसा कर सकता/सकती है।

17 संवीक्षा प्रक्रिया

1. कोई अभ्यार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा में प्रविष्ट हुआ है, किसी लिखित विषय के अपने अंकों की संवीक्षा के लिये निदेशक को सीधे आवेदन कर सकता है।

2. ऐसा कोई आवेदन सम्बन्धित संस्था से

Scanned by CamScanner

प्राप्त विहित प्रपत्र पर किया जाना चाहिये और अनुसची तीन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

3. ऐसे सभी आवेदनों के साथ ऐसी फीस जो बोर्ड द्वारा विहित की जाये, होनी चाहिये। ऐसी फीस का भुगतान निदेशक, IEDUPVE को देय बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS/UPI के माध्यम से किया जायेगा या कोषागार में जमा की जायेगी। पश्चातवर्ती स्थिति में कोषागार चालान की एक प्रति बोर्ड के निदेशक को भेज जायेगी। भारतीय पोस्टल आर्डर, धनादेश या नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4. कोई भी अभ्यार्थी सवींक्षा फीस को वापस पाने का हकदार नहीं होगा, जब तक सवींक्षा के परिणामस्वरूप उसके परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली त्रुटि का पता न चले।

5. सवींक्षा समाप्ति के पश्चात् सवींक्षा के सभी मामलों के परिणाम अभ्यार्थी को सूचित किया जायेगा, ऐसे मामलों में किसी अन्य पत्र व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

6. सवींक्षा के कार्य में अभ्यर्थी की पुनः परीक्षा या उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। इसमें यह सवींक्षा करना है कि क्या किसी एक प्रश्न पर दिये गये अंकों को उद्वाहन करने में या उनका योग करने में या कुल प्राप्तांकों को भरने में कोई त्रुटि हुई है या क्या किसी प्रश्न या उसके भाग पर अंक देने में कोई भूल हुई है।

7. सवींक्षा के कार्य में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं है। जिनकी मौखिक या प्रयोगात्मक या दोनों प्रकार से परीक्षा या मौखिक परीक्षा में, या जाब वर्क या परियोजना आदि में होती है।

18. **अंक–पत्र**

1. प्रत्येक विषय, लिखित या प्रयोगात्मक में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करने वाला अंक पत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा (अनुसूची एक में विहित फीस के भुगतान पर) अभ्यार्थी को दिया जायेगा। इस फीस को प्रत्येक अभ्यार्थी से परीक्षा फीस के साथ लिया जायेगा।

2. यदि किसी अभ्यार्थी को अपने अंक पत्र के योग, उद्वाह सत्रांक को भरने श्रेणी सम्मान या विशेष योग्यता में किसी विसंगति का पता लगे तो वह परीक्षाफल के घोषित होने के दिनांक से एक मास से अनाधिक की अवधि के भीतर अपनी संस्था के प्रधानाचार्य के माध्यम से निदेशक, IEDUPVE को उसके लिये आवेदन करेगा ओर वह ऐसे आवेदन की एक प्रति को उसी अवधि के भीतर रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड के कार्यालय को भी भेजेगा।

3. अंक पत्र संस्था में परीक्षाफल की प्राप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अभ्यार्थी को दिया जायेगा, परन्तु यह कि यदि किसी अभ्यार्थी के परीक्षाफल में संस्था के प्रधानाचार्य को किसी विसंगति का पता लगे तो उसे अंक पत्र नहीं दिया जायेगा और स्पष्टीकरण के लिये मामला बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे स्पष्टीकरण के प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यार्थी को अवश्यक अंक–पत्र दिया

Scanned by CamScanner

जायेगा।

4. अंक पत्र की द्वितीय प्रति यदि अपेक्षिक हो, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट विहित फीस के, जो कोषागार चालान या बैंक ड्राफ्ट द्वारा बोर्ड में जमा की जायेगी भुगतान करने पर संस्था के प्रधान द्वारा अभ्यर्थी को दी जायेगी।

19 फीस की वापसी

1. निम्नलिखित मामलों के सिवाय एक बार भुगतान की गई फीस को वापस नहीं किया जायेगा :—

क. परीक्षा के पूर्व अभ्यार्थी की मृत्यु के मामले में।

ख. ऐसे अभ्यार्थी के मामले में जिसे आगामी परीक्षा के लिए विहित फीस का भुगतान करने के पश्चात् सवींक्षा या उसके रूके हुए परीक्षा फल के रिलीज होने के परिणामस्वरूप उत्तीर्ण घोषित किया जाये।

ग. उस अभ्यार्थी के मामले में जिसका आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाये।

स्पष्टीकरण— इस नियम में, फीस का तात्पर्य केवल परीक्षा फीस से है और उसके अन्तर्गत प्राप्तांकों का विवरण प्राप्त करने के लिये जमा की जाने वाली फीस नहीं है।

2. फीस की वापसी के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर प्राप्त किया जायेगा यदि अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संस्था के प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

20. फीस को स्थगित करना

1. अनुसूची तीन में विहित समय के भीतर और ऐसे प्रपत्र पर जैसा बोर्ड विहित करे इन निमित्त दिये गये आवेद—पत्र पर बोर्ड किसी अभ्यार्थी को जो किसी परीक्षा में नहीं बैठा था, निम्नलिखित शर्तों पर उसकी फीस को स्थगित करके ठीक आगामी परीक्षा में प्रवेश दे सकता है :—

क. कि विनियम 4 के अधीन सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अभ्यर्थी को रोका गया था,

ख. कि अभ्यार्थी परीक्षा के समय अत्यधिक रूग्ण था यह तथ्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाण पत्र से सम्यक् रूप से समर्थित हो।

2. एक बार स्थगित की गयी फीस को एक बार पुनः स्थगित नहीं किया जायगा।

स्पष्टीकरण —

क. परीक्षा (लिखित या प्रयोगात्मक) के किसी भाग में बैठना इस नियम के अधीन पूर्ण परीक्षा में बैठना समझा जायेगा।

ख. फीस का तात्पर्य केवल "परीक्षा फीस" से है।

3. अभ्यर्थी से परीक्षा और अन्य फीस अनुसूची 1 में दी गयी दरों के अनुसार ली जानी चाहिए।

21. एक साथ अन्य परीक्षा में बैठना

1. किसी भी अभ्यार्थी को, जो बोर्ड की किसी परीक्षा में बैठ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा या व्यवसायिक निकायों के द्वारा संचालित परीक्षा के सिवाय जैसे कि ऐसोसिएट मेम्बर आफ दि इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (अभियन्ता संस्था का सहयुक्त सदस्य) आदि के, जिसके लिये किसी संस्था में अध्ययन का कोई नियमित पाठ्यक्रम विहित नहीं है, एक साथ किसी अन्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

Scanned by CamScanner

2. अनुज्ञेय परीक्षा में किसी अभ्यर्थी को बैठने के लिये समायोजित करने या सुविधा देने के लिये बोर्ड की परीक्षा के दिनांक में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

22. **अग्रसारण अधिकारी और आवेदन पत्र**

1. नियमित अभ्यार्थी के लिये बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र संस्था के प्रधानाचार्य से प्राप्त होंगे, जो उसके लिये अग्रसारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। व्यक्तिगत अभ्यार्थी के रूप में बैठने का अभिप्राय वाला अभ्यार्थी उस संस्था के जिसमें वह अन्तिम बार उपस्थित रहा, प्रधानाचार्य से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा, जो उसका अग्रसारण अधिकारी होगा। सम्यक् रूप से भरे हुये और प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण विहित फीस के साथ आवेदन पत्र की अनुसूची दो में उल्लिखित दिनांक तक अग्रसारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी दृष्टि से अपूर्ण आवेदन पत्र बोर्ड अस्वीकार किये जाने योग्य होगा।

2. अग्रसारण अधिकारी अनुसूची दो में विहित विशिष्ट अंतिम दिनांक तक प्रत्येक दृष्टि से सम्यक् रूप से पूर्ण आवेदन–पत्र को प्राप्त करने के पश्चात् अभ्यार्थी की पात्रता और तथ्यों के भी सम्बन्ध में भली प्रकार जांच करायेगा कि किसी स्तम्भ को खाली नहीं छोड़ा गया है या कांट–छांट पर, यदि कोई हो, सम्यक् हस्ताक्षर है या कोई भी अपेक्षित संलग्नक गुम नहीं है और निम्न प्रकार कार्यवाही करेगा :

क. प्रत्येक पाठ्य क्रम के लिये पृथक–पृथक पाठ्यक्रम के अनुसार छांटेगा।

ख. हिन्दी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला क्रम में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये प्रपत्र रखेगा, व्यक्तिगत अभ्यार्थी के प्रपत्र प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियमतः नियमित अभ्यर्थियों के प्रपत्र के बाद रखे जायेंगे।

ग. वर्णमाला क्रम में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये पृथक पृथक तीन प्रतियों में (दो प्रतियां बोर्ड को भेजी जायेगी और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में रखी जायेगी) नामावली तैयार की जाये।

घ. अनुसूची दो में विहित अंतिम दिनांक से विलम्बवतम् 20 दिन के भीतर निदेशक, IEDUPVE को समस्त प्रपत्र और नामावली अग्रसारित करना।

ङ. आवेदन पत्रों की संख्या पर ध्यान न देते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम के अनुसार रू0 100 प्रतिदिन का अतिरिक्त विलम्ब फीस संस्था द्वारा देय होगी। यदि कोई संस्था देय दिनांक तक बोर्ड में आवेदन पत्र औरी फीस प्रस्तुत करने में विफल रहती है, अधिकतम दो सप्ताह इस प्रकार विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये अनुमन्य होंगे और इस दिनांक के अवसान के पश्चात् किसी भी आवेदन पत्र को बोर्ड की परीक्षा समिति के अनुमोदन के सिवाय स्वीकार नहीं किया जायेगा।

च. परिषद् द्वारा आवेदन पत्र और फीस की स्वीकृति हो जाने पर भी परीक्षा में आवेदक का कार्य/परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा, यदि बाद में यह पता लगे कि आवेदक उक्त वर्ष में प्रवेश के लिये और उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं था और अग्रेतर सम्बन्धित प्रधानाचार्य और कर्मचारी वर्ग आवेदक के गलत प्रमाणीकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

स्पष्टीकरण

1. जहां किसी प्रयोजन के लिये अंतिम दिनांक विहित कर दिया गया है और उस प्रयोजन के लिये फीस भी विहित कर दी गयी है, वहां फीस की यथास्थिति कोषागार में या बैंक ड्राफ्ट से उस प्रयोजन के लिये इस प्रकार अवधारित दिनांक तक जमा किया जाना चाहिए।

2. जब किसी मास में कोई दिन कोषागारों में सार्वजनिक सव्यवहार के लिये पूर्ण कार्य दिवस न हो तो अग्रसारण अधिकारियों को उस दिन एकत्रित फीस को ठीक आगामी कार्य दिवस को सरकारी कोषागार में जमा करने की अनुज्ञा दी जाती है।

3. यदि ऊपर उल्लिखित अंतिम दिनांक रविवार या राजपत्रितत अवकाश के दिन पड़ता है तो ठीक आगामी दिनांक उस विशिष्ट दिनांक के सम्बन्ध में अंतिम दिनांक समझाा जायेगा। सस्थायें जो बोर्ड की परीक्षााओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्रों के प्रस्तुतीकरण की समय अनुसूची का अनुपालन नहीं करती है –

क. सरकारी संस्थाओं की स्थिति में परीक्षा समिति द्वारा उचित समझे गये किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिये व्यतिक्रमी व्यक्तियों पर 100 रूपया प्रतिदिन का अर्थ दण्ड लगाया जायेगा।

ख. सरकारी सहायता प्राप्त संस्थओं की स्थिति में ऐसी संस्थाओं को, प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिये 100 रूपया का प्रतिदिन का अर्थ दण्ड का भुगतान करना पड़ेगा तथा अनुदान के निरोध और समक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे गये किसी अन्य कार्यवाही का सामना करने के लिये उत्तरदायी होगी।

ग. उन संस्थाओं के समबन्ध में, जो ऊपर उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आती है – प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिये 100 रूपया प्रतिदिन अर्थ दण्ड का भुगतान करना पड़ेगा तथा अन्य उचित कार्यवाही जिसमें से संस्था को असम्बद्ध करना भी है कि उत्तरदायी होगी।

23. परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य नियम

1. IEDUPVE की लिखित परीक्षा सभी केन्द्रों पर एक साथ और साधारणतः शैक्षिक वर्ष के मई/नवम्बर माह में की जायेगी।

2. प्रयोगात्मक परीक्षा के दिनांकों को प्रयोगात्मक परीक्षक से परामर्श करके संस्थाओं के सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा और साधारणतः लिखित परीक्षा से या तो पहले या ठीक पश्चात् की जायेगी। प्रयोगात्मक परीक्षा साधारणतः प्रत्येक संस्था में की जायेगी परन्तु यह कि विशेष बैक पेपर की स्थिति में परीक्षा एक या अधिक केन्द्रों पर की जा सकती है।

24. संस्था के प्रधानाचार्य से यह अपेक्षा

1. संस्था के प्रधानाचार्य से यह अपेक्षाकी जायेगी कि वह प्रत्येक वर्ष विलम्बतम् 31 अगस्त तक अभ्यर्थियों की संख्या जिसके प्रत्येक कक्षा और पाठ्यक्रम में ठीक आगामी IEDUPVE की परीक्षा में बैठने की सम्भावना है, निदेशक को सूचित करें।

Scanned by CamScanner

2. प्रयोगत्मक/लिखित परीक्षा में, जो भी पहले हो, उसके प्रारम्भ से कम से कम एक मास पूर्व संस्था का प्रधानाचार्य एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि अभ्यर्थियों को पूर्ण पाठ्क्रम पढ़ा दिया गया है और प्रैक्टिकल और एक्सपेरीमेंट वास्तव में पूर्ण किये गये हैं और संस्था में छात्रों द्वारा जनरल परियोजना/रूपांकन कार्य आदि संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया है।

25 **परीक्षा केन्द्र में प्रविष्टि**

1. परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी अभ्यार्थी को परीक्षा हाल में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। फिर भी केन्द्र का अधीक्षक अपने विवेक से किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है। यदि कोई अभ्यार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टे के भीतर स्वयं को रिपोर्ट करता है।

2. अधीक्षक/निरीक्षक/उड़नदस्ता/प्रेक्षक परीक्षा हाल के अन्दर या बाहर परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले या दौरान परीक्षार्थी से उसकी तलाशी लेने के लिये कह सकता है।

3. अधीक्षक/निरीक्षक के मांगने पर परीक्षार्थी से अपना प्रवेश पत्र दिखाने को कह सकता है और परीक्षा हाल/केन्द्र में उसके प्रवेश को मना कर सकता है यदि बिना विधिमान्य कारणों के उसके पास अपना प्रवेश पत्र नहीं है और उसे प्रतिरूपण के कार्य का संदेह हो या पता लगे।

4. किसी भी अभ्यार्थी को साधारणतः प्रश्न पत्र की पूर्ण अवधि के अवसान से पूर्व अंतिम रूप से परीक्षा हाल छोडने की अनुमति दे सकता है।

26 **परीक्षार्थियों का अभिलेख सुरक्षित रखना**

1. अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तकायें परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक से छः मास की अवधि तक सुरक्षित रखी रहेगी। उन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकायें, जिन्होने परीक्षा में अनुचित साधरन का प्रयोग किया है एक वर्ष की अवधि तक रखी जायेगी।

2. प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा तैयार किया गया कार्य सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्यों द्वारा रख लिया जायेगा और विशेष परीक्षा की स्थिति में केन्द्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर तक अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के मामले में प्रधानाचार्य के लिये यह बाध्यकारी होगा कि वह उनके कार्य/परियोजना/सत्र कार्य आदि को उस अवधि तक रखे जब तक अभ्यार्थी उत्तीर्ण न हो जाये।

3. अधिनिर्णय सूचियाँ/सत्रांक सूचियाँ परीक्षाफल के घोषित होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नष्ट कर दी जायगी।

27. **प्रवेश पत्र और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया**

1. निदेशक के हस्ताक्षर (अनुकृति स्टाम्प) से प्रत्येक अभ्यार्थी को जिसे रोका न जाये और जो IEDUPVE की परीक्षा में प्रवेश की शर्ते पूर्ण करता है और जिसे परीक्षा में बैठने के लिये अनुमति दी जाती है, एक प्रवेश–पत्र दिया जायेगा, परन्तु

Scanned by CamScanner

2. मुख्य परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक अभ्यार्थी को दिया जायेगा।

3. प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र पर प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान के लिये प्रधानाचार्य द्वारा दिया जायेगा :

परन्तु यह और कि विशेष बैक परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र केन्द्र अधीक्षक द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी से उसकी अपनी संस्था के प्रधानाचार्य से पहचान–पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।

4. सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा के प्रारम्भ से कम से कम 24 घण्टे पूर्व कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा।

5. जब भी मांगा जाये, प्रत्येक अभ्यार्थी अपना प्रवेश पत्र केन्द्र अधीक्षक या निरीक्षक या उड़नदस्ता या प्रेक्षक को दिखायेगा।

6. केन्द्र अधीक्षक यदि उसका समाधान हो जाये कि किसी अभ्यार्थी को दिया गया प्रवेश पत्र गुम हो गया है या नष्ट हो गया है, उस अभ्यार्थी को प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट विहित फीस के भुगतान पर देगा जिसे यथास्थिति बैक ड्राफ्ट या कोषागार चालान के माध्यम से केन्द्र अधीक्षक बोर्ड के निदेशक के पास जमा करेगा।

28 निष्कासन या निर्वासन

1 इन नियम में दी गयी किसी बात के होते हुये भी किसी अभ्यार्थी को जिसे प्रशासनिक विभाग के प्रधान द्वारा किसी शिक्षा वर्ष के दौरान किसी समय निष्कासित किया गया हो, उस शिक्षा वर्ष में मई परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. किसी अभ्यार्थी को, जिसे बोर्ड की किसी परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात सम्बद्ध संस्था से निर्वासित कर दिया गया है और उसके पश्चात उसको किसी समबद्ध संस्था में प्रवेश नहीं दिया गया है, परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी :

यदि उपर्युक्त निर्देशित, परीक्षा के पाठ्यक्रम के दौरान या परीक्षा के पश्चात् लेकिन उस सत्र की समाप्ति के पूर्व, जिसमें परीक्षा संचालित की जाती है, अधिरोपित की जाती है तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जायेगी।

29 प्रश्न–पत्र का स्वत्वाधिकार

IEDUPVE अपने प्रश्न पत्रों का स्वत्वाधिकार सुरक्षित रखता है। यदि फिर भी कोई प्रकाशक/लेखक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करे तो IEDUPVE किसी प्रकाशन में IEDUPVE की परीक्षा के प्रश्नों या प्रश्न पत्रों को प्रस्तुतीकरण के लिये अनुमति दे सकता है :

1. प्रकाशक/लेखक प्रकाशन में प्रश्नों के साथ कोई हल/उत्तर सम्मिलित नहीं करेगा।

2. यह प्रकाशक/लेखक का उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रश्न या प्रश्नपत्रों की शुद्धता प्रस्तुत करे।

3. प्रकाशक/लेखक पर यह बन्धनकारी होगा कि वह न केवल इस तथ्य का उल्लेख करें कि प्रश्न/प्रश्न–पत्र परिषद की अनुमति से प्रकाशित किए जा रहे हैं अपितु वह उकत अनुकत पत्र की संख्या

Scanned by CamScanner

और दिनांक को विशेष रूप से उद्धत करेगा।

4. IEDUPVE द्वारा दी गयी अनुमति का आवेदन पूर्णतः उस कलेण्डर वर्ष तक सीमित होगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है और स्वतः समाप्त हो जायेगा जब तक इन नियमों के अधीन नवीनीकरण न कराया जाये और स्वीकृति न दे दी जाये।

5. अनुमति चाहने वालों के लिए फीस 100 रूपया प्रति प्रश्न पत्र है।

Scanned by CamScanner

अनुसूची–1

(निनियम 3 देखिए)

क्र0सं0	मद	प्रथम और द्वितीय समेस्टर की परीक्षा
1	2	3
1	मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा फीस	850.00
2	विशेष (बैक पेपर) परीक्षा के लिए क. एक विषय के लिए ख. विषय के लिए	 200.00 450.00
3	एक विषय से भिन्न प्रति विषय संवीक्षा फीस	25.00
4.	अंकों के ब्यौरे की संसूचना के लिए अनिवार्य फीस 1. मुख्य परीक्षा 2. विशेष बैक पेपर परीक्षा परन्तु यह कि यह खण्ड तब तक प्रयोजनीय होगा जब तक संस्था द्वारा अंक तालिका जारी न कर दिया जाए और जब तक कि IEDUPVE के कम्प्यूटराइज्ड अंक तालिका के जारी करने की प्रक्रिया पूरी न हो जाये।	 50.00 50.00
5.	अंक तालिका की द्वितीय प्रतिलिपि के लिए फीस	900.00
6	प्रवेश कार्ड की द्वितीय प्रतिलिपि के लिए फीस	200.00
7	IEDUPVE द्वारा जारी किए गए डिप्लोमा या प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि के लिए फीस	1000.00
8	उन वर्षो के जिसमें यह परीक्षा हुई30 जून से पांच वर्ष की अवधि के भीतर दावा नहीं किये गये डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए फीस	5000.00
9	IEDUPVE द्वारा इस प्रकार नियत किये गये दिनांक के अवासन के पश्चात बिन्दु सम्यक दिनांक के पश्चात पन्द्रह दिन के भीतर IEDUPVE की परीक्षा में प्रवेश के आवेदन पत्र प्रपत्रों को विलम्ब से भेजने के लिए फीस	100.00
10	ऊपर क्रम सं0 9 में विनिर्दिष्ट अन्तिम	250.00

Scanned by CamScanner

	दिनांक के अवासन के पश्चात भी किन्तु 15 नवम्बर तक आवेदन पत्र के प्रपत्रों को भेजने के लिए बढ़ायी गयी विलम्ब फीस	

अनुसूची– दो

अन्तिम दिनांक

क्र0सं0	मद	बिना विलम्ब शुल्क	सधारण विलम्ब शुल्क रू0 1000 की दर से	बढे हुये विलम्ब शुल्क रू0 250. 00 की दर से।
1	2	3	4	5
1	अग्रासारण अधिकारी के कार्यालय में IEDUPVE की परीक्षा में प्रवेश आवेदन पत्र को प्राप्ति के लिए अन्तिम दिनांक तथा विहित फीस 1. एस0टी0सी0 परीक्षा को सम्मिलित करते हुए द्वितीय, समेस्टर की परीक्षा के नियमित छात्र 2. प्रथम वर्ष के नियमित छात्र (नये प्रवेश और पुर्न प्रवेश परीक्षा)	10 मार्च 10 अक्टूबर 10 फरवरी	25 मार्च 25 अक्टूबर 25 फरवरी	25 अप्रैल 15 नवम्बर 15 अप्रैल

अनुसूची– तीन

क्र0सं0	विवरण	अन्तिम तिथि
1	1. विनियम 19 के अधीन फीस रोकने के लिए आवेदन पत्र 2. फीस की वापसी के लिये आवेदन पत्र 3. संवीक्षा के लिये आवेदन पत्र	अपनी अपनी लिखित परीक्षा के प्रारम्भ होने से तीस दिने कोषागार में फीस भुगतान करने के दिनांक से एक वर्ष परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन

अनुसूची– चार

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम अपेक्षित प्रवेश अर्हता
1	1-File & Sefty Management	1 वर्ष	10+2 भारत के किसी भी माध्यमिक प्राविधिक बोर्ड के सभी विषयों में Science/Art/Comm.
2	Computer Application	1 वर्ष	यथोक्त

Scanned by CamScanner

अनुसूची– पांच

टारक्षण और वरीयता (वेटेज)

क्र0सं0	राजाज्ञा संख्या और दिनांक	निम्नलिखित के लिये निर्धारित आरक्षण	आरक्षित पदो की संख्या
1	1. 3793–डी / 18 घ दिनांक 18 जुलाई 1963, 4670 ई0 डी0 / 18–घ–1976–180 (क) ई0डी0 / 1976 दिनांक 9 अगस्त 1976 और 1435 प्रा0 शि0 / 18 (घ – 180) (एम) ई0 डी0–76 दिनांक 16 जून 1977	राजनैतिक पीड़ितो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के विवाहित / अविवाहित पुत्र और पुत्रियों पौत्र (पुत्र का) और अविवाहित पौत्रियों (पुत्र की लड़की)	संस्थानों की कुल इन्टेक का पांच प्रतिशत (यह आरक्षण केवल शिक्षा सत्र 1984–88 तक जारी रहेगा।)
		सक्रिय सेवा में सैनिक कर्मियों के पुत्र और पुत्रियों या भूतपूर्व कार्मिक सक्रिय सेवा में सैनिक कार्मिक पैरामिलट्री फीसेज के सैत्रिक कार्मि	1. संस्थानो की कुल इन्टेक का पांच प्रतिशत
		1. अनुसूचित जाति 2. अनुसूचित जनजाति 3. पिछड़े वर्ग	संस्थानो की कुल इन्टेक का 18 प्रतिशत संस्थानो की कुल इन्टेक का 2 प्रतिशत संस्थानो की कुल इन्टेक का 15 प्रतिशत
		पूर्वी अफ्रीकी देशों और श्रीलंका में आने वाले शरणार्थी छात्र	प्रत्येक संस्थान में एक स्थान

Scanned by CamScanner